REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1591]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ज्येष्ठ 16, 1939
No. 1591]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/JYAISTHA 16, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.आ. 1797(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 143 और 196 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
143	44	जम्मू और कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट रारा-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		बनिहाल, जम्मू, कठुआ, पंजाब राज्य में पठानकोट, मुकेरियां, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा,
		हरियाणा राज्य में अंबाला, करनाल, पानीपत, कुंडली, दिल्ली [मुकरबा चौक (पुरानी रारा सं. 1 के
		किमी 16.500) से आश्रम चौक (पुरानी रारा सं. 2 के किमी 8.300) तक रिंग रोड के भाग को
		छोड़कर], हरियाणा राज्य में फरीदाबाद, पलवल, होडल, उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा, आगरा,
		राजस्थान राज्य में धौलपुर, मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना, ग्वालियर, दतिया, उत्तर प्रदेश राज्य में
		झांसी, ललितपुर, मध्य प्रदेश राज्य में सागर, नरसम्हापुर, लखनादोन, शिवनी, महाराष्ट्र राज्य में
		नागपुर, जम्ब, पंधरकावड़ा, तेलंगाना राज्य में आदिलाबाद, निर्मल, रमायमपेटु, हैदराबाद
		{(नागपुर-हैदराबाद खंड पर बोवेनपल्ली [किमी 486/200] (पुराना किमी 474/00) से असेंबली
		[किमी 497/200] (पुराना किमी 485/0) और हैदराबाद-बैंगलोर खंड पर अफज़लगंज

तालिका

		[किमी 0/00] से आरामगाह [किमी 8/800] तक छोड़कर}, आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल, गूटी, अनंतपुर, पेनूकोंडा, कर्नाटक राज्य में देवनहल्ली, बेंगलुरु, तमिलनाडु राज्य में होसुर, कृष्णागिरी,
		धर्मापुरी, सलेम, कन्याकुमारी (केप कॉमन) को जोड़ने वाला राजमार्ग ।
196	65	महाराष्ट्र राज्य में पुणे के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर इंदापुर, शोलपुर,
		उमरगा, कर्नाटक राज्य में होमनाबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद {(पुणे-हैदराबाद खंड पर मियापुर
		[किमी 524/00] से असेंबली [किमी 543/00] और हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड पर असेंबली [0/00]
		से एलबी नगर [किमी 14/00] तक छोड़कर} , विजयवाड़ा, वुय्युरू, पमार्रू को जोड़ने वाला तथा
		मछल्लीपट्टम में रारा-216 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/7/2017-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ)**,** दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1373 (अ), दिनांकित 1 मई, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1797(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 143 & 196 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Sl. No.	New National	Description of National Highways
	Highway No.	
(1)	(2)	(3)
143	44	The highway starting from its junction with NH-1 near Srinagar connecting Banihal,
		Jammu, Kathua in the State of Jammu & Kashmir, Pathankot, Mukerian, Jalandhar,
		Ludhiana, Rajpura in the State of Punjab, Ambala, Karnal, Panipat connecting Kundli in
		the State of Haryana, Delhi [except portion of ring road from Mukarba Chowk
		(km 16.500 of old NH No. 1) to Ashram Chowk (km 8.300 of old NH No. 2)], Faridabad,
		Palwal connecting Hodal in the State of Haryana, Mathura connecting Agra in the State of
		Uttar Pradesh, Dhaulpur in the State of Rajasthan, Morena, Gwalior connecting Datia in
		the State of Madhya Pradesh, Jhansi connecting Lalitpur in the State of Uttar Pradesh,
		Sagar, Narsmhapur, Lakhnadon connecting Seoni in the State of Madhya Pradesh,
		Nagpur, Jamb connecting Pandharkawada in the State of Maharashtra, Adilabad, Nirmal,
		Ramayampet, Hyderabad in the State of Telangana {(excluding from Bowenpally [Km
		486/200](old Km 474/00) to Assembly [497/200](Old km 485/0) on Nagpur-
		Hyderabad Section} and from Afzalganj [km 0/00] to Aramgarh [km 8/800] on
		Hydrabad-Bangalore Section}, Kurnool, Gooty, Anantapur connecting Penukonda in

TABLE

		the State of Andhra Pradesh Devanahalli connecting Bangaluru in the State of Karnataka,
		Hosur, Krishnagiri, Dhramapuri, Salem connecting Kanniyakumari (Cape Comonn) in the
		State of Tamil Nadu.
196	65	The highway starting from its junction with NH-48 near Pune connecting Indapur,
		Solapur, Umarga in the State of Maharashtra Homnabad in the State of Karnataka
		Hyderabad {(excluding from Miyapur [km 524/00] to Assembly [km 543/00] on
		Pune-Hyderabad Section and from Assembly 0/00 to LB Nagar [Km 14/00] on
		Hyderabad-Vijaywada Section)}, Vijayawada, Vuyyuru, Pamarru and terminating at its
		junction with NH-216 at Machllipatnam in the State of Andhra Pradesh

[F. No. NH-14012/7 /2017-P&M] MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification No. S.O. 1373(E) dated 1st May, 2017.